



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2018/भाद्र 13, 1940

No. 299]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018/BHADRA 13, 1940

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सं. 13(1)/एनएससी/2018(भाग).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 2005 के संकल्प सं. 85 का पैराग्राफ 3 को निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित किया जाता है:—

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विधिवत गठित खोज समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, भारत के साप्ताहिक राजपत्र (9-15 मई, 2015) में प्रकाशित अधिसूचना सं.19 के पैरा 1 में उप-खंड 2 को समाप्त कर दिया गया है।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2018

No. 13(1)/NSC/2018 (Pt).—Paragraph 3 of the Resolution No. 85 dated 1st June 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, stands superseded with immediate effect, as under:—

The Chairman and Members of the National Statistical Commission will be selected on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted by the Government of India from time to time for the purpose.

2. Consequent to above, Sub clause 2 in Para 1 of Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015) stands deleted.

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

5145 GI/2018